

कोल इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
COAL INDIA LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
कोल भवन "COAL BHAWAN"
Premise No. 04, MAR, Plot No. AF-III
Action Area-IA, Newtown, Rajarhat
KOLKATA-700156 (WB)



एक महारत्न कंपनी
A Maharatna Company

POLICY CELL
CIN: L23109WB1973GOI028844
E-Mail: policycell.cil@coalindia.in
Tel: 033-7110 4271
Website: www.coalindia.in

(An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 50001:2011 Certified Company)

Ref No: CIL/C5A (PC)/MAR/2024/1287

Date: 18.11.2024

Office Memorandum

Subject: Change in Entitlement of Accommodation under MAR (Medical Attendance Rules) and CPRMSE.

The Board of Directors, in its 471st meeting held on 25.10.2024 (vide ITEM No. 471:4(W)), approved the Change in Entitlement of Accommodation under MAR (Medical Attendance Rules) and CPRMSE.


The existing provision of CPRMSE which is followed for MAR also.			Amendment under MAR		
Sl.No	Entitlement	Grade	Sl.No	Entitlement	Grade
1	Deluxe Room	Retired Board level executives and executives of E9 grade	1	Suite/Highest Category of Room available	For Board Level executives.
2	Individual cabin	Retired executives of E8 and E7 grade	2	Deluxe Room (AC)	E8 and E9
3	Twin sharing cabin	Retired executives E1 to E6 Grade	3	Private Room (AC)	E5 to E7
			4	Twin Sharing (AC)	Upto E4 grade.
			5	General Ward	For non-executives.
			Amendment under CPRMSE:		
Sl.No	Entitlement	Grade	Sl.No	Entitlement	Grade
1	Suite/Highest Category of Room available	For Retired Board Level executives.	2	Deluxe Room (AC)	Retired executives of E8 and E9 grade
			3	Private Room (AC)	Retired executives of E5 to E7 grade

[Handwritten signature]
नामका
18.11.2024

	4	Twin Sharing (AC)	Retired executives up to E4 grade.
<p>Note: The amendment is to be incorporated under Clause 5.2 of MAR (for On Roll employees) and Clause 3.2.1(b) of CPRMSE (for retired executives).</p>			

This issues with the approval of the competent authority.

This is for information and compliance by all concerned.


 18.11.2024
 (Rajesh V. Nair)
 General Manager (P/PC), CIL

Distribution list:

- i. D(T)/ D(M)/ D (P&IR)/ D(F), CIL
- ii. CMD, BCCL/ CCL/ CMPDIL/ ECL/ MCL/ NCL/ SECL/ WCL
- iii. D(P), BCCL/ CCL/ ECL/ MCL/ NCL/ SECL/ WCL
- iv. D(T/CRD), CMPDIL
- v. ED (Co-ordination), CIL
- vi. CMS/HoD (Medical), CIL/BCCL/ CCL/ ECL/ MCL/ NCL/ SECL/ WCL
- vii. GM, NEC
- viii. HoD, CIL New Delhi Office
- ix. Mgr.(P/PC), CIL - for updation in HR Manual

कोल इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
COAL INDIA LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
कोल भवन "COAL BHAWAN"
Premise No. 04, MAR, Plot No. AF-III
Action Area-1A, Newtown, Rajarhat
KOLKATA-700156 (WB)



एक महारत्न कंपनी
A Maharatna Company

POLICY CELL
CIN: L23109WB1973GOI028844
E-Mail: policycell.cil@coalindia.in
Tel: 033-7110 4271
Website: www.coalindia.in

(An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 50001:2011 Certified Company)

संदर्भ सं: सीआईएल/सी5ए (पीसी) /एमएआर/2024/1287

दिनांक: 18.11.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एमएआर (चिकित्सा उपस्थिति नियम) और सीपीआरएमएसई के तहत आवास की पात्रता में परिवर्तन।

निदेशक मंडल ने अपनी 471वीं बैठक, जो दिनांक 25.10.2024 को आयोजित हुई (आइटम संख्या 471:4(डब्ल्यू)), में एमएआर (चिकित्सा उपस्थिति नियम) और सीपीआरएमएसई के तहत आवास की पात्रता में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की है। संशोधित प्रावधान निम्नलिखित हैं:

सीपीआरएमएसई का मौजूदा प्रावधान जिसका एमएआर के लिए भी अनुपालन किया जाता है।			एमएआर के तहत संशोधन		
क्र. सं.	पात्रता	ग्रेड	क्र. सं.	पात्रता	ग्रेड
1	डीलक्स रूम (Deluxe Room)	सेवानिवृत्त बोर्ड स्तर के अधिकारी और E9 ग्रेड के अधिकारी	1	सुइट/उपलब्ध कमरे की उच्चतम श्रेणी	बोर्ड स्तर के अधिकारियों के लिए।
2	व्यक्तिगत केबिन	E8 और E7 ग्रेड के सेवानिवृत्त अधिकारी	2	डीलक्स रूम (एसी)	ई8 और ई9 ग्रेड के अधिकारियों के लिए
3	द्विवन शेयरिंग केबिन	E1 से E6 ग्रेड के सेवानिवृत्त अधिकारी	3	निजी कमरा (एसी)	ई5 से ई7 ग्रेड के अधिकारियों के लिए
			4	द्विवन शेयरिंग (एसी)	ई4 ग्रेड तक के अधिकारियों के लिए
			5	सामान्य वार्ड	गैर अधिकारी के लिए।
			सीपीआरएमएसई के तहत संशोधन:		
क्र. सं.	पात्रता	ग्रेड			
1	सुइट/उपलब्ध कमरे की उच्चतम श्रेणी	बोर्ड स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए।			
2	डीलक्स रूम (एसी)	ई8 और ई9 ग्रेड के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए			

नाथ
18.11.2024

नाथ

	3	निजी कमरा (एसी)	ई5 से ई7 ग्रेड के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए
	4	ट्रिवन शेयरिंग (एसी)	ई4 ग्रेड तक के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए
नोटः			
ये संशोधन एमएआर (कार्यरत कर्मचारियों के लिए) के खंड 5.2 और सीपीआरएमएसई (सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए) के खंड 3.2.1 (बी) में सम्मिलित किए जाएंगे।			

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

यह सभी संबंधितों को सूचना और अनुपालन के लिए है।

नायक
18.11.2024
(राजेश वी. नायर)

महाप्रबंधक (कार्मिक/नीति विभाग), सीआईएल

वितरण सूची:

- डी (टी) / डी (एम) / डी (पी एंड आईआर) / डी (एफ), सीआईएल
- सीएमडी, बीसीसीएल/सीसीएल/सीएमपीडीआईएल/ईसीएल/एमसीएल/एनसीएल/एनसीएल/एसईसीएल/डब्ल्यूसीएल
- डी (पी), बीसीसीएल/सीसीएल/ईसीएल/एमसीएल/एनसीएल/एसईसीएल/डब्ल्यूसीएल
- डी (टी/सीआरडी), सीएमपीडीआईएल
- ईडी (समन्वय), सीआईएल
- सीएमएस/एचओडी (मेडिकल),
सीआईएल/बीसीसीएल/सीसीएल/ईसीएल/एमसीएल/एनसीएल/एसईसीएल/डब्ल्यूसीएल
- जीएम, एनईसी
- विभागाध्यक्ष, सीआईएल नई दिल्ली कार्यालय
- प्रबंधक (पी/पीसी), सीआईएल - एचआर मैनुअल में अद्यतन हेतु।